भारत सरकार
शक्षा मंत्रालय
उच्चतर शक्षा वभाग

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या-**1236**
उत्तर देने की तारीख-**08/12/2025**

निजी वश्व वद्यालयों/संस्थानों और कॉलेजों के वरुद्ध शकायतें

†1236. श्री सुदामा प्रसादः

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार को वशेष रूप से ग्रामीण और हा शए के समूहों और बिहार और असम में महिलाओं के बीच लगातार कम सकल नामांकन अनुपात की जानकारी है जहां 5 प्रतिशत से कम व्यक्ति उच्च शक्षा पूरी करते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) निम्नस्तरीय मानक वाले निजी कॉलेजों/वश्व वद्यालयों के व्यापक पैमाने पर बढ़ाने के कारण गुणवत्ता में आई कमी से निपटने और निरर्थक संख्यात्मक वकास के बजाय सार्थक पहुंच सुनिश्चित करने के लए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/ठाए जा रहे हैं;
(ग) वगत पांच वर्षों के दौरान सरकार को निजी वश्व वद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों के वरुद्ध शैक्ष णक गुणवत्ता, अत्य धक शुल्क और अन्य शैक्ष णक मुद्दों के संबंध में छात्रों से प्राप्त शकायतों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कतनी है; और
(घ) क्या सरकार को पछले पांच वर्षों के दौरान निजी वश्व वद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों से जाति और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न के संबंध में एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी छात्रों से कोई शकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी कॉलेज/वश्व वद्यालय/संस्थान और वर्ष/राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): वर्ष **2022-23** (अनंतिम) के लए अ खल भारतीय उच्चतर शक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के आंकड़ों के अनुसार, सभी श्रे णयों, अनुसू चत जातियों (अजा) और अनुसू चत जनजातियों

(अजजा) के लए राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) क्रमशः **29.5, 27.3** और **23.5** है। बिहार और असम में महिला जीईआर क्रमशः **19.9** और **17.8** है, जो दोनों राज्यों में पुरुष जीईआर से अ धक है। असम, बिहार और भारत के लए श्रेणीवार और जेंडरवार जीईआर नीचे दी गई ता लका में दिया गया हैः-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी श्रे णयाँ		
	पुरुष	महिला	कुल
असम	**17.5**	**19.9**	**18.7**
बिहार	**16.1**	**17.8**	**16.9**
अ खल भारतीय	**28.9**	**30.2**	**29.5**

(ख) से (घ): शक्षा भारत के सं वधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। इस प्रकार, निजी वश्व वद्यालयों की स्थापना संबं धत राज्य वधानमंडल के अ धनियम द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा जारी अ धनियम और अ धसूचना की एक प्रति प्राप्त होने के बाद, वश्व वद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में वश्व वद्यालय अनुदान आयोग अ धनियम, **1956** की धारा **2(**च**)** के तहत निजी वश्व वद्यालयों के नाम शा मल करता है। इन वश्व वद्यालयों को राज्य सरकारों द्वारा उनके संबं धत अ धनियमों, सं व धयों, अध्यादेशों, नियमों और वनियमों के अनुसार शा सत कया जाता है। ऐसे वश्व वद्यालयों को उच्चतर शक्षा के मानकों को बनाए रखने के लए वश्व वद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी कए गए संगत वनियमों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी करना होता है।

शै क्षक गुणवत्ता, अत्य धक शु:ल्क और शक्षा संबंधी अन्य मुद्दों के संबंध में छात्रों से प्राप्त शकायतों को नवारण के लए संबं धत राज्य सरकार/वश्व वद्यालय को भेज दिया जाता है। राज्य निजी वश्व वद्यालयों में शु:ल्क को उनके अ धनियम/सं व धयों/नियमों/वनियमों अथवा राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार वनिय मत कया जाता है।

जाति अथवा दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव अथवा उत्पीड़न के संबंध में अनुसू चत जाति/अनुसू चत जनजाति/अन्य पछड़ा वर्ग/दिव्यांग वद्या र्थयों से प्राप्त शकायतों पर वश्व वद्यालय अनुदान आयोग (जाति आधारित भेदभाव नवारण) वनियम, **2012** और दिव्यांग व्यक्तियों के लए वश्व वद्यालय अनुदान आयोग के संगत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। सामान्यतया सभी शकायतों की जांच की जाती है और आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लए संबं धत वश्व वद्यालय/कॉलेज को भेज दी जाती हैं। संस्थानों से अपेक्षा की जाती है क वे की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें, भेदभाव न करना सुनिश्चित करें और

अनुसू चत जाति/अनुसू चत जनजाति/अन्य पछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी से संबं धत छात्रों की शकायतों के निवारण के लए एक तंत्र बनाए ।

समय-समय पर अद्यतित फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट https://www.ugc.gov.in/universitydetails/Fakeuniversity पर उपलब्ध है। वर्तमान में, 24 संस्थान इस **सूची में शामिल हैं।**

आम जनता, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को सावधान करने के लिए सोशल मीडिया और यूजीसी वेबसाइट के माध्यम से सामान्य जागरूकता के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अलावा, यूजीसी/सरकार द्वारा ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के वरुद्ध **निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं -**

i. **सरकार के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं को विश्वविद्यालय के रूप में गलत प्रस्तुत करके, डिग्रियां प्रदान करके और अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करके छात्रों को धोखा देने और ठगने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें।**
ii. **यूजीसी सभी राज्यों और** संघ राज्य क्षेत्रों **के प्रधान सचिवों/सचिवों को पत्र लिखकर अपने-अपने राज्यों के सभी स्कूल शिक्षा बोर्डों को सतर्क रहने के लिए सूचित करने और छात्रों को प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों की साख को सत्यापित करने की सलाह देने के लिए भी लिखा है।**
iii. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रही और अमान्य डिग्रियां प्रदान करने वाली संबंधित स्वयंभू शैक्षिक संस्था को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी नोटिस/पत्र जारी करता है और उन्हें अवैध गतिविधियों को रोकने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देता है।**
iv. **संबंधित राज्य सरकारों को पत्र लिखकर स्वयंभू संस्था की अवैध गतिविधियों के बारे में सूचित करता** है **और उनसे अनुरोध करता** है **कि वे इसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करें,** तथा इसकी सूचना **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को** दें**।**
v. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों के बावजूद, यदि वह स्वयंभू संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों का पालन नहीं करती है अथवा निर्धारित समय के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है, तो उसका नाम विश्वविद्यालय**

अनुदान आयोग की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कया **जाता है। फर्जी विश्वविद्यालयों की अद्य**तित **सूची यूजीसी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है।**

vi. **कई स्वयंभू संस्थानों/विश्वविद्यालयों के** वरूद्द **एफआईआर दर्ज की गई है।**

vii. **अमान्य डिग्रियां प्रदान करने वाले** अप्रा धकृत **संस्थानों को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं।**

परिणामस्वरूप, वर्ष **2014 से अब तक 12 फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है।**

*****